भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 468
दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पालना योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूसीसी केंद्र

468. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) केंद्रों की स्थापना तथा कार्यकरण की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो देशभर में स्वीकृत तथा संचालित केंद्रों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या मंत्रालय ने पालना योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूसीसी केंद्रों के लिए आवंटित तथा जारी की गई निधियों की समीक्षा की है, जिसमें वार्षिक आवंटन तथा वास्तविक रूप से जारी की गई राशि शामिल है; और
(ग) विशेषकर तमिलनाडु में, एडब्ल्यूसीसी केंद्रों का राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2022 से पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की शुरुआत की, ताकि रोज़गार की स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी माताओं के बच्चों (06 महीने - 06 वर्ष की आयु) को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में डे केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके साथ ही, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के तहत पालना घटक एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित किया जाता है; जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में

विधान मंडल नहीं है, उनके लिए 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। पालना एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं का आकलन करते हैं तथा कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है।

मिशन शक्ति योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करता है तथा निधियाँ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर ₹32.39 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से 31.26 करोड़ रुपये जारी/व्यय किए गए थे। मंत्रालय कार्यान्वयन का आकलन करने और सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करता है। देश भर में स्वीकृत और कार्यशील आंगनवाड़ी सह क्रेच की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"पालना योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूसीसी केंद्र" विषय पर माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री एस. कल्याणसुन्दरम द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 468 के भाग (क) से (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.03.2026 तक अनुमोदित एडब्ल्यूसीसी की संख्या	17.07.2026 तक कार्यशील एडब्ल्यूसीसी की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8	7
2	आंध्र प्रदेश	108	शून्य
3	अरुणाचल प्रदेश	86	शून्य
4	असम	500	50
5	बिहार	504	504
6	चंडीगढ़	210	210
7	छत्तीसगढ़	1500	186
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	190	107
9	दिल्ली	611	502
10	गोवा	11	11
11	गुजरात	25	शून्य
12	हरियाणा	628	628
13	हिमाचल प्रदेश	152	152
14	जम्मू और कश्मीर	317	170
15	झारखंड	1024	12
16	कर्नाटक	1664	164
17	केरल	504	219
18	लद्दाख	7	6
19	लक्षद्वीप	8	शून्य
20	मध्य प्रदेश	448	शून्य
21	महाराष्ट्र	345	शून्य
22	मणिपुर	702	शून्य
23	मेघालय	1238	84
24	मिजोरम	200	200
25	नागालैंड	500	471
26	ओडिशा	1000	शून्य
27	पुद्दुचेरी	86	शून्य
28	पंजाब	148	144
29	राजस्थान*	शून्य	शून्य
30	सिक्किम	25	25
31	तमिलनाडु	600	शून्य
32	तेलंगाना	1033	8
33	त्रिपुरा	114	114
34	उत्तराखंड	202	198
35	उत्तर प्रदेश*	शून्य	शून्य
36	पश्चिम बंगाल	10	शून्य

***उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने 'पालना' योजना के तहत एडब्ल्यूसीसी के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।**

*****